

उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचास्थानि चुनावालय) देहरादून

सूचना

23 जून, 2025 ई0

संख्या 441/त्रि0पां0निर्वा0-2025-"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1141/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 देहरादून दिनांक-21.06.2025 द्वारा राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। तदनुसार मैं संविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), देहरादून एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद देहरादून की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यो, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नालिखित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेगे:-

निर्वाचक चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचक प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र चकराता, कालसी एवं विकासनगर	25.06.2025 से 28.06. 2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	29.06.2025 से 01.07. 2025 तक (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	03.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	19.7.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	08.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	-तदैव-

उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे। सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक-23.06.2025 से दिनांक-27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक-28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2)

इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकासखण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

सदस्य जिला पंचायत के स्थानों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

स्थान— देहरादून

दिनांक— 23.06.2025

सविन बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) देहरादून।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 05-07-2025, भाग-3 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 जिलाधिकारी/326-21-07-2025-10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)